उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या– 1941/अप्र–07/पाकालि/2008–34अ0प्र0–07/08 दिनांकः 25 सितम्बर, 08

कार्यालय ज्ञाप

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत तथा पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा घोषित कम्बाइन्ड सीनियारिटी के आधार पर 40 प्रतिशत प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अधोनामित अवर अभियन्ता (जानपद) को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सम्मुख अंकित इकाई पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (जानपद) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि वे पूर्व परिषदादेश संख्या 485–ए–आर /राविपि–01–28–एआर/89 दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले लगभग छः(6) सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेगे।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे :–

जानपद संवर्ग (40 प्रतिशत) सामान्य वर्ग

कम सं0	अवर अभियन्ता का नाम/ गृह जनपद एवं पिता का नाम /जन्मतिथि	वर्तमान तैनाती स्थल	सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के उपरान्त नव तैनाती स्थल/कार्यालय	अभिज्ञान संख्या
1	कृष्ण शरण पुत्र श्री कपिलेश्वर शरण/ पटना(बिहार)/26.08.53/ (100/71–78)	वि0जान0पारे0ख0, गोरखपुर।	जानपद पारेषण–।।	200804
2	हसन अब्बास पुत्र श्री शहबान अली/ बाराबंकी/03.03.52/ (102/71–78)	वि0जान0नि0ख0–।, लखनऊ।	जानपद पारेषण–।।	200805
3	बलेश्वर दयाल पुत्र श्री गेंदामल/ मुजफ्फरनगर/15.07.49/ (103/71–78)	वि0जान0वि0मं0, मेरठ।	जानपद पारेषण–।	200806
4	शिव कुमार सिंह पुत्र श्री मेधराज सिंह /मेरठ/03.07.52/ (104/71–78)	वि0जान0वि0मं0, मेरठ।	जानपद पारेषण–।	200807
5	बाल कृष्ण आष्टा पुत्र श्री बी0एल0 आष्टा /मेरठ/04.04.54/ (110/71–78)	पनकी ताप वि0गृह, पनकी, कानपुर।	केस्को (श्री एन0बी0 मिश्रा, स्थानान्तरित के स्थान पर)	200808
6	सत्येन्द्र बहादुर श्रीवास्तव पुत्र श्री जे0 एन0 श्रीवास्तव/देवरिया/03. 09.50/ (114/71–78)	वि0जान0पा0, अभिकल्प मण्डल, लखनऊ।	जानपद पारेषण–।	200809

2 उपर्युक्त प्रोन्नति आदेश याचिका सं0 34006/1995–गैर अनूसूचित जाति/जनजाति अधिकारी कल्याण परिषद एवं अन्य बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन होगे।

3 उपर्युक्त प्रोन्नति आदेश याचिका संख्या 3902/1995 पुष्पेन्द्र अग्रवाल व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन होंगे।

4 उपर्युक्त प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं को कारपोरेशन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि यथा 31.10.2008 तक कार्यभार ग्रहण कार्य करना अनिवार्य है, तत्पश्चात उपरोक्त प्रोन्नति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

5 यह प्रोन्नति आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किये जा रहे है कि प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी के प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन पर प्रोन्नत अधिकारी को किसी भी समय बिना नोटिस अथवा क्षतिपूर्ति के अवर अभियन्ता के पद पर पदावनत किया जा सकता है। साथ ही नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रोन्नति पर कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व वह प्रोन्नत अभियन्ता से इस आशय का सहमति पत्र अवश्य प्राप्त कर लें तथा प्रतिहस्ताक्षर कर कार्यभार ग्रहण प्रमाणक के साथ कारपोरेशन मुख्यालय में उपसचिव 04 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 1941–अ0प्र0–07/पाकालि/2008/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि संबंधित अवर अभियन्ता को सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हेतु अवमुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि :–

(क) अवर अभियन्ता के विरूद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयन्त्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।

(ख) अवर अभियन्ता के विरूद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रकरण न चल रहा हो।

1 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2 निदेशक (का0प्र0एवं प्रशा0) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निजी सचिव।
4 मुख्य अभियन्ता जानपद पारेषण–I/II उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
5 प्रबन्ध निदेशक, केस्को, उ0प्र0पा0का0लि0, कानपुर।
6 मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, उ0प्र0पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारियों का लगभग 06 सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करे।
7 मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत),उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
8 मुख्य अभियन्ता (स्तर–I), पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, कानपुर।
9 उपमहाप्रबन्धक (मुख्यालय) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
10 अधीक्षण अभियन्ता विद्युत जानपद वितरण मंडल उ0प्र0पा0का0लि0, मेरठ।
11 अधीक्षण अभियन्ता विद्युत जानपद पारेषण अभिकल्प मंडल उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
12 अधिशाषी अभियन्ता विद्युत जानपद पारेषण खण्ड उ0प्र0पा0का0लि0, गोरखपुर।
13 अधिशाषी अभियन्ता विद्युत जानपद निर्माण खण्ड–I उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
14 उपसचिव अ0प्र0–03/04, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
15 लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा),उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
16 अनुभाग अधिकारी, अ0प्र0–03/04/गोपन अनुभाग, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
17 संबंधित अधिकारीगण।
18 गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,

(बी0 पी0 एस0 राठौर)
उपसचिव